बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।

15, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना– 800001

आवश्यक सूचना

वि०सं० 01/2019, सहायक अभियन्ता (असैनिक) के पदों पर नियुक्ति हेतु आयोग द्वारा ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु दिनांक 08.03.2019 को विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। उक्त विज्ञापन की कंडिका 9 (i) के आलोक में आयोग कार्यालय में स्पीड पोस्ट/निबंधित डाक से आवेदन की हार्डकॉपी एवं सभी प्रमाण पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि 22.04.2019 के अपराह्न 5.00 बजे तक निर्धारित की गई थी। तदालोक में उक्त पद से संबंधित विज्ञापन के अंतर्गत कतिपय आवेदको के आवेदन की हार्डकॉपी आयोग कार्यालय में अप्राप्त है (सूची आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bih.nic.in पर प्रदर्शित है)। ऐसे आवेदको को सूचित किया जाता है कि अगर उन्होंने आयोग द्वारा निर्धारित तिथि के अंतर्गत हार्डकॉपी प्रेषित किया हो तो इस संबंध में साक्ष्य (निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट की छायाप्रति) संलग्न करते हुए निर्धारित प्रारूप में भरकर आयोग के E-Mail ID-bpscpat-bih@nic.in पर दिनांक 22.02.2021 तक निश्चित रूप से भेजना सुनिश्चित करेंगे।

2. वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने आवेदन की हार्डकॉपी तो आयोग कार्यालय में भेजा है परंतु हार्डकॉपी के साथ कोई भी प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है (आयोग के वेबसाईट पर प्रदर्शित)। वे पुनः निर्धारित तिथि (22.02.2021) तक वांछित कागजात के साथ भेजना सुनिश्चित करेंगे।

3. वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने आवेदन की हार्डकॉपी के साथ सभी वांछित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किये है यथा (**शैक्षणिक प्रमाण पत्र, बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी होने का प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग संबंधित प्रमाण पत्र) तथा जिनके प्रमाण पत्र अपठनीय, अस्पष्ट हो अथवा पिता के नाम से निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र नहीं भेजे है वो भी पुनः स्पष्ट, पठनीय एवं पिता के नाम से निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र दिनांक 22.02.2021 को अपराह्न 5.00 बजे तक स्पीड पोस्ट के माध्यम से आयोग कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करेंगे।**

नोटः– वैसे अभ्यर्थी जो हार्डकॉपी के साथ वांछित सभी प्रमाण पत्र संलग्न कर आयोग कार्यालय में भेज चुके हैं उन्हें पुनः आवेदन (हार्डकॉपी) भेजने की आवश्यकता नहीं है।

निर्धारित तिथि (22.02.2021) तक साक्ष्य के आधार पर जाँचोपरांत सही पाये जाने की स्थिति में उनके द्वारा पूर्व में प्रेषित आवेदन की हार्डकॉपी (प्राप्त होने की स्थिति में) के आधार पर विज्ञापन में निहित्त शर्तो के आलोक में नियमानुसार अग्रतर कारवाई की जायेगी। वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में बाद में किसी प्रकार का अनुरोध/दावा स्वीकार्य नहीं होगा तथा ऐसे आवेदकों की उम्मीदवारी रद्द किए जाने के सम्बन्ध में आयोग के स्तर पर निर्णय लिया जायेगा।

11.2.21

संयुक्त सचिव–सह–परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना